

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

K.M
21/4

PO 181
Km 5
Dept. 31
CPB 145
D

असाधारण
EXTRAORDINARY

सं० 195
No. 195

दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 5, 1988/अग्रहायण 14, 1910
DELHI, MONDAY, DECEMBER 5, 1988/AGRAHAYANA 14, 1910

भाग—IV
PART—IV

दिल्ली प्रशासन : दिल्ली
DELHI ADMINISTRATION : DELHI

14/12/88

श्रम विभाग
अधिसूचनाएं

LABOUR DEPARTMENT
NOTIFICATIONS

दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1988

Delhi, the 5th December, 1988

संख्या: एफ 2(3)/82/रु०नि. का./श्रम/पार्टे फाइल/9071
इस प्रशासन की अधिसूचना संख्या एफ.डी. 4(88)/79-
विद्युत, दिनांक 18 जुलाई, 1980 का आंशिक संशोधन
करते हुए, मैं एस.पी. त्यागी, मुख्य निरीक्षक कारखाना,
एतद्वारा यह स्वीकृत करता हूँ कि कारखाना अधिनियम,
1948 की क्लॉज (एफ.) धारा-2 के प्राधानुसार,
उन कारखानों में जो कि कारखाना कानून 1948 में
पंजीकृत हैं और ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली में
स्थित हैं, सप्ताह के सात दिन की अवधि शनिवार
मध्यरात्रि से आरम्भ मानी जाएगी।

No. F. 2(3)/82|CIF|Lab.|Part file|9071 :—In partial modification of this Administration's Notification No. F. D.4(88)/79-Elec. dated the 18th July, 1980, I, S. P. Tyagi, Chief Inspector of Factories do hereby approve a period of seven days beginning at midnight on Saturday night, as "week", in accordance with the provisions of clause (f) of section 2 of the Factories Act, 1948 in respect of the factories registered under the Factories Act, 1948 and located within the Okhla Industrial Estate, New Delhi.

एस.पी. त्यागी, मुख्य निरीक्षक कारखाना

S. P. TYAGI, Chief Inspector of Factories

सं. फा. 1(13)/87-आई. एफ. श्रम.9050—श्रम सत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना सं. एस. ओ. 108 दिनांक 14 फरवरी 1958 के साथ पठित फैक्ट्री अधिनियम 1948 (1948 का 63) की धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सब राज्य क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक पूर्व प्रकाशन के पश्चात दिल्ली फैक्ट्री नियमावली, 1950, में और आगे संशोधन करने के लिये एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

3124 DG/88-1

(1)

Attested

Signature

Financial Officer
Deptt. of Publication
M/o U. D. Delhi-54